दिनांक–14.05.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं–

क्र०	विषय / कार्य विवरणी	निर्णय
1.	उड़नदस्ता जाँच का रिपोर्ट एवं रिपोर्ट का प्रपत्र।	अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता द्वारा लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा के द्वारा सम्पादित कार्य "नारायणपुर प्रखण्ड में रानीडीह–धरमपुर, जोरिया पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का निर्माण कार्य" का जाँच प्रतिवेदन Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। **जाँच में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी :** (i) विभिन्न कार्यो के अनियमितता में स्पष्टता नहीं हैं। (ii) अनियमित कार्य का मात्रा में स्पष्टता नहीं है। (iii) अनियमित कार्य के लिए जिम्मेवार व्यक्ति, नाम एवं आई०डी० सहित चिन्हित नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा यह महसूस किया गया कि इस तरह की जाँच का कोई फायदा नही है। निदेश :– (i) अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता स्वयं स्थल पर जाकर पुनः जाँच करें एवं अगली बैठक में स्पष्ट सूचनाओं के साथ Presentation दें। **2.** अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता द्वारा प्रत्येक CSG में 2 जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। परिवाद का जाँच रिपोर्ट, मापी आधारित, दोष निर्धारक एवं दोष का Seriousness तय करते हुए, दोषी के नाम, पदनाम, आई०डी० से युक्त, Model report के रूप में प्रस्तुत किया जाये। **(Action - S.E, Flying Squad)**
2.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	किसी दक्ष Chattered Accountant से सम्पर्क कर दिनांक 28.05.2013 के पूर्व संलेख तैयार करने का निदेश। **(EIC –II)**

3.	झालको को 20 हे० से कम सिंचाई योजनाओं के निर्माण से विमुक्ति।	आदेश निर्गत हो चुका है। आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाये एवं CSG की संचिका में रखा जाय। **(EIC –II)**
4.	खूँटी स्थित अनरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध 14 चेकडैम निर्माण कार्य की प्रगति।	4 चेकडैम में काम शुरू। शेष 10 में कार्य शुरू कराने का आदेश। अभियंता प्रमुख–II को प्रत्येक CSG में प्रगति बताने का निदेश। अभियंता प्रमुख–II स्वयं स्थल निरीक्षण करें। **(EIC – II)**
5.	पुनासी जलाशय योजना की प्रगति हेतु कार्रवाई।	मुख्य अभियंता द्वारा river closure, spillway एवं Distribution Network में कार्य शेष रहने की सूचना दी गई। समयावधि विस्तार हेतु अविलम्ब कार्यवाही करें। **(CE, Deoghar)**
6.	स्वीकृत्यादेश की प्रगति एवं आवंटन निर्गत की प्रक्रिया।	मरम्मति एवं संपोषण, Capacity building प्रशिक्षण E-Governance से संबंधित स्वीकृत्यादेश (योजना एवं गैर–योजना दोनों मदों से संबंधित) 28.05.2013 तक निर्गत किये जाये। **(EIC – I/II)**
7.	गेतालसूद जलाशय योजना के गेट के पुनर्स्थापन कार्य में प्रगति	निविदा समिति द्वारा संवेदक को दर वार्त्ता हेतु आमंत्रित किया गया है। **(EIC – I)**
8.	शुरू जलाशय योजना की प्रगति	21.05.2013 तक एकरारनामा करने का निदेश। **(CE, Ranchi)**
9.	कनहर बराज परियोजना के BC Ratio का Revision	परियोजना से संबद्ध प्राप्त Data 14.05.2013 को CWC को E-mail से संप्रेषण की सूचना। 21.05.2013 तक CWC दिल्ली को भेजने एवं फरीदाबाद में Follow-up करने का निदेश। **(Nodal officer, Kanhar HPC)**
10.	सिंचाई भवन कार्य की प्रगति	20.06.2013 तक कार्य प्रारम्भ होने की संभावना की सूचना मुख्य अभियंता, राँची द्वारा दी गयी। निदेश – निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। **(CE, Ranchi)**
11.	धुर्वा में Scrap Material की नीलामी	Scrap के 60 प्रतिशत उठाव एवं 21.05.2013 तक कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना।

		निदेश :– i) निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण कराकर विभाग को सूचित करें। ii) श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जिन्होंने 16.00 लाख में ही इस सामग्री को बेचने का अनुशंसा की थी, जो सामग्री अब 42.00 लाख में बिक्री की जा रही है। कार्यपालक अभियंता, श्री उमेश कुमार सिंह के विरूद्ध कार्रवाई हेतु समीक्षा कर अविलम्ब प्रस्ताव मोनिटरिंग शाखा द्वारा 21.05.2013 की बैठक के पूर्व उपस्थापित किया जाय। **(CE, Monitoring)**
12	वाल्मी का गठन	विधि सचिव से मिल कर गठन की प्रक्रिया त्वरित करने का निदेश। **(CE, Monitoring)**
13.	केन्द्रीय रूपांकण के कार्य	केन्द्रीय रूपांकण को Efficient एवं result oriented संस्था के रूप में विकसित करने एवं आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। श्री विजय शंकर, सहायक अभियंता, रूपांकण को यह निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर दिनांक– 28.05.2013 के CSG बैठक में प्रस्तुत करें। मुख्य अभियंता, रूपांकण एवं अन्य सम्बन्धित अभियंताओं के विचारों का भी समावेश किया जाय। **(CE, Monitoring)**
14.	डैम सेफ्टी सेल का गठन	डैम सेफ्टी सेल गठन की प्रक्रिया त्वरित करने का निदेश। इस कार्य के नोड्ल पदाधिकारी CE, Monitoring होंगे। इस संबंध में संलेख 21.05.2013 तक पस्तुत किया जाय। **(CE, Monitoring)**
15.	राज्य में बाढ़ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	Emergency Flood कार्य हेतु वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन एवं अन्य शक्तियों के संबंध में यदि आवश्यक है तो इसका संलेख तैयार कर संचिका उपस्थापित किया जाय। **(EIC- I)**
16.	श्री मोद नारायण मंडल मामले से संबद्ध निर्णय।	अगली बैठक में रखा जाय। **(J.S. (Vigilance))**
17.	विभागीय अभियंताओं की सेवा वाह्य विभाग को भेजने के सम्बन्ध में निर्णय	अगली बैठक में रखा जाय। **(J.S. (Management))**

18.	वर्ष 2013–14 में सुवर्णरेखा नदी के बाँयें तट पर लक्ष्मण नगर गाँव के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	अभियंता प्रमुख–I आवश्यक कार्रवाई करेंगे। (EIC- I)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... ...../ राँची, दिनांक– ...

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना, राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)।
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... ...../ राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II; जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..... ...../ राँची, दिनांक– .. ..

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक 2/PMC/CSG-69/2011-404 दिनांक 16.5.13

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)